



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 1979/फाल्गुन 1, 1900
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 1979/PHALGUNA 1, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्यांग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979

का. आ. 102 (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. का. आ. 79 (अ), तारीख 8 फरवरी, 1978 के अधीन, भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित, पटसन (अनुज्ञापन और नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1978 में, खण्ड 7क की पैरिस 4 में, "तारीख" शब्द के पूर्व "प्राप्ति की" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 9/20/74-पटसन]

एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 1979

S.O. 102(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby, makes the following order further to amend the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, namely :—

1. (1) This Order may be called the Jute (Licensing and Control) (Amendment) Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Jute (Licensing and Control) (Amendment) Order, 1978, published in the Gazette of India (Extraordinary) under S.O. 79(E) dated 8th February, 1978, in clause 7A, line 3, before the word "communication", the word "receipt of" shall be inserted.

[F. No. 9/20/74-Jute]

S. K. SARKAR, Jt. Secy.